निर्णय बइजलास श्री जनक सिह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 08.02.2023

प्रकरण संख्या 02/प्रार्थना पत्र/22 तारीख दायरा :-28.01.2022

उनवान

कंचनबाई पत्नी पूरीलाल जाति मीणा निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0 --- प्रार्थीया

बनाम

1- मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी थरोल तहसील अकलेरा
2- गोविन्दलाल पुत्र छप्पनलाल जाति मीणा निवासी ब्रम्हाखेडी तहसील छीपाबडौद
3- जगमोहन पुत्र छप्पनलाल जाति मीणा निवासी ब्रम्हाखेडी तहसील छीपाबडौद
4- बसंतीबाई पुत्री छप्पनलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी केसर कॉलोनी अकलेरा तहसील अकलेरा
5- रूकमणीबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी कटफली रामपुरिया तहसील अकलेरा
6- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं आर्डर 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जाप्ता दिवानी

निर्णय दिनांक 08.02.2023

उपस्थिति :- वकील वादनी श्री योगेश कुमार गोयल
वकील प्रतिवादी नम्बर 1 श्री कुलेन्द्र नागर
वकील प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 श्री दुर्गाशंकर गोयल

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने जर्ये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम थरोल तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 186 की खसरा नं. 956/225 की 0.0081 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी नं. 1 के खाते वर्तमान राजस्व रिकार्ड में स्थित हैं। यह कि ग्राम थरोल तह0 अकलेरा के माल में ही नई खतौनी संख्या 231 की खसरा नं. 865/225 की 0.1619 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 के शामलाती खाते की स्थिति है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी पूर्व में हाबू/मोहनलाल/रामस्वरूप पिसरान कान्हा/रामकंवरी विधवा कान्हा जाति मीणा के शामलाती खाते की स्थिति थी जो ख.न. 225 की 3.12 बीघा आराजी स्थित थी। जिसमें उक्त सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 12.12.2014 को उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया था जिसमें से ख.न. 225 की 1.01 बीघा आराजी प्रतिवादी नं. 1 मोहनलाल के पृथक हिस्से में आई थी। नकल सहमति बंटवारा दिनांक 12.12.2014 पेश है एवं उक्त सहमति बंटवारे के पश्चात् नामान्तरण नं. 846 दिनांक 02.01.2015 से उक्त आराजी अप्रार्थी नं. 1 के पृथक खाते दर्ज हुई थी। सहमति बंटवारा एवं नामान्तरण नं. 846 पेश है। यह कि अप्रार्थी नं. [illegible] आपसी सहमति से विभाजन कर लेने के पश्चात अपने हिस्से में आई [illegible] थरोल की ख. नं. 225 की 1.01 बीघा में से 1 बिस्वा आ[illegible] जो झालावाड के लगवा स्थित है को प्रार्थीया ने [illegible]र्ड विक्रय प[illegible]र्थी नं. 1 से दिनांक 10.03.2016 को खरीद की थी तब [illegible] कब्जा चला आ रहा है जिसके चारो ओर वादिनी ने पत[illegible] है। यह कि अप्रार्थी नं. 1 द्वारा आपसी विभाजन के बाद अपने हिस्से में आई आराजी ख. नं. 225 की 1.01 बीघा में से 17 बिस्वा आराजी का बेचान गीताबाई पत्नी श्री छप्पनलाल जाति मीणा निवासी ब्रम्हाखेडी तह0 छीपाबडौद जिला बारां को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2018 को कर दिया था जो नामान्तरण नं. 963 दिनांक 20.11.2019 से गीता बाई के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested

खाते दर्ज की गई है व उक्त आराजी में से अप्रार्थी नं. 1 द्वारा पुनः उक्त कुल आराजी 1.01 बीघा का हिस्सा 2/21 का बेचान गीता बाई पत्नी श्री छप्पनलाल व हिस्सा 1/21 का बेचान रूकमणी बाई पत्नी पानाचन्द जाति मीणा अप्रार्थीयां नं. 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2019 को कर दिया था जो नामान्तरण नं. 977 दिनांक 05.05.2019 से गीता बाई एवं रूकमणी बाई के खाते दर्ज कर गई थी तथा उक्त दोनों बेचान करने के बाद शेष बची 0.01 बीघा आराजी को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ख.सं. 956/225 से अप्रार्थी नं. 1 के खाते ही दर्ज कर रखा है जबकि उक्त आराजी का बेचान अप्रार्थी नं. 1 द्वारा उक्त दोनों बेचान करने के पूर्व से वादिनी को बेचान कर चुका है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी को प्रार्थीयां के खाते दर्ज नहीं किया गया। इस कारण उक्त खं. नं. 956/225 पर से अप्रार्थी नं. 1 का नाम काटा जाकर प्राथीयां को उक्त ख. नं. 956/225 रकबा 0.01 बीघा का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी नं. 1 से उक्त आराजी जिसका वर्णन मद नं. 4 में है को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2016 को ही खरीद कर ली थी तथा प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थीया को बेचान के पश्चात शेष बची आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2018 एवं 10.04.2019 को गीता बाई एवं अप्रार्थीया नं. 5 रूकमणी बाई को किया गया है तथा गीता बाई के मरने पर नामान्तरण नं. 1040 दिनांक 16.07.2021 से गीता बाई के वारिसान अप्रार्थीया 2 लगातार 4 का नाम दर्ज किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ख.नं. 865/225 की 0.1619 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीया 2 लगातार 5 के शामिल खाते दर्ज है परन्तु अप्रार्थी नं. 1 मोहनलाल द्वारा गीता बाई व रूकमणी बाई को बेचान की गई आराजी के बाद विभाजन के आधार पर नामान्तरण नं. 1000 दिनांक 05.11.2019 तस्दीक कर उक्त आराजी को प्रार्थीया की शेष बची थी वह जो अभी मोहनलाल के नाम दर्ज है उसे उक्त ख. नं. 865/225 के नक्शे में पश्चिमी दक्षिणी कोने पर बता दिया जबकि उक्त 1 बिस्वा आराजी जो वादिनी द्वारा खरीद की गई थी वह आराजी पश्चिमी तरफ एनएच 52 अकलेरा झालावाड़ रोड के लगवा स्थित है जिसका उल्लेख रजिस्ट्री दिनांक 10.03.2016 मे दर्ज है इस कारण उक्त इंतकाल नम्बर 1000 दिनांक 05.11.2019 वादिनी के टिनेन्सी अधिकारों पर बेअसर होने से निरस्त होने योग्य है व प्रार्थीया रजिस्ट्री में दी गई चतुर्सीमा एवं दिशानुसार नक्शा तरमीम करवाने की अधिकारिणी है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया द्वारा खदीद की गई आराजी अभी भी अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते दर्ज चली आ रही है व राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थीयां नम्बर 2 लगायात 5 द्वारा खरीद की गई आराजी का नक्शा गलत तरमीम होने के कारण इस बात का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी नम्बर 1 उक्त आराजी का कही रहनदान बेचान आदि कर सकता है व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 वर्तमान नक्शा ट्रेस के हिसाब से आराजी को कन्वर्ट करवाकर प्लाट के रूप मे बेचान कर सकते है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्यवाही करदी तो प्रार्थीया को अपूर्णी क्षति कारित होगी। इस कारण प्रार्थीया अप्रार्थीगण 1 ता 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थीगण 1 ता 5 के विरूद्व, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की अप्रार्थी नम्बर 1 वर्णित आराजी ख0न0 956/225 की 0.0081 हेक्टयर भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को रहन बेचान दान आदि हस्तान्तरण नही करे व अप्रार्थीगण 2 ता 5 प्रार्थीया के कब्जे मे दखल अंदाजी न करे व ख0न0 865/225 की 0.1619 हेक्टयर भूमि के नजरी नक्शे के आधार पर आराजी का कन्वर्ट नही करवाकर प्लाट काट कर अन्य किसी व्यक्ति को बेचान न करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.01.2022 को आगामी तारीख तक अस[illegible] जारी की गई व प्रतिवादीगण से जवाब तलब किया गया। [illegible] अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस[illegible] विशेष आप[illegible] निवेदन किया गया कि प्रार्थीया वर्तमान मे आराजी की [illegible] प्रार्थीया को रिकार्डडेट खातेदार अप्रार्थीगण 2 ता 5 के विरूद्व [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] करने का अधिकार नही है। प्रार्थीया द्वारा कथा कथित बेनामा दिनांक 10.03.2016 मे वर्णित मुताबिक प्रार्थीया ने अप्रार्थी नम्बर 1 से खसरा नम्बर 225 की 1 बीघा 1 बिस्वा मे से तरफ पश्चिम एन.एच 52 अकलेरा से झालावाड के लगवा आराजी का खरीद करना बताया है उक्त अनुसार प्रार्थीया का खसरा नम्बर 225 की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे से 1 बिस्वा तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 14:11:04 IST
Reason: SelfAttested

पश्चिम रोड से लगवा 5 फूट 3 इन्च चोडी पूर्व से पश्चिम तथा 165 फूट लम्बी उत्तर से दक्षिण लम्बी पट्टी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी 2 ता 5 के विरूद्व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया को केवल अप्रार्थी नम्बर 1 के विरूद्व ही वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी 2 ता 5 ने स्वेच्छा से बटवारा तस्दीक करा लिया है जिसमा नामा0 1000 दिनांक 5.11.19 को तस्दीक हो चुका है विभाजन पत्र व नामा0 मे अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी 2 ता 5 का नजरी नक्शा दर्ज है जिसकी प्रार्थीया द्वारा कोई अपील नही की गई है। अप्रार्थीया 4 ने अपने हिस्से की आराजी को रिलीज कर अपने भाई गोविन्दलाल व जगमोहन के पक्ष मे कर खाते दर्ज करवादी गई है। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 2,3 व 5 को अपने खाते की आराजी को तरमीम के मुताबिक रहन, बेचान अन्तरण करने का अधिकार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्राईमाफेसाई असत्य है तथा वाद का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे नही है ना ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की कोई सम्भावना नही है बल्कि यदि अप्रार्थी 2,3 व 5 को उनके खातेदारी की आराजी को कन्वर्ड कराने से व बेचान करने से रोका गया तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से मे आयी आराजी ख0न0 225 की 1.01 बीघा आराजी मे से वर्ष 2016 मे 1 बिस्वा आराजी तरफ पश्चिम एन एच 52 अकलेरा से झालावाड लगवा को कंचनबाई को बेचान कर कब्जा संभलाया था तब से उक्त आराजी पर कंचनबाई काबिज है। इसके दो वर्ष बाद 17 बिस्वा आराजी का बेचान गीताबाई को किया था तथा वर्ष 2019 मे शेष बची 3 बिस्वा आराजी को भी गीताबाई व रूकमणीबाई को कर दिया था जो पहले वाले कंचनबाई को किये बेचान को छोडकर किया था जिसकी जानकारी गीताबाई व रूकमणीबाई को है मेरे द्वारा कंचनबाई को बेचान पूरब से पश्चिम 25 फिट व उत्तर से दक्षिण 40 फीट का किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण गोविन्दलाल, जगमोहन, बसन्तीबाई व रूकमणीबाई ने पटवारी से मिलकर सहमति विभाजन बाबत नामा0 1000 दिनांक 5.11.19 खुलवाया है जिसकी जानकारी मुझे कंचनबाई से मिली है उक्त नामा0 अवैध है गलत है मेरी सहमति से नही खुला है ना ही मेरे विभाजन पर हस्ताक्षर है। मेरे खाते मे चली आ रही ग्राम थरोल के ख0न0 956/225 की 0.0081 हे0 भूमि को कंचनबाई के खाते दर्ज किये जाने मे मुझे कोई आपत्ति नही है।

वकील वादनी व वकील प्रतिवादीगण की बहस श्रवित की गई। वकील वादनी का कथन है कि वर्णित आराजी ख0न0 956 की 0.0081 हे0 एन एच 52 से तरफ पश्चिम वादनी को बेचान के बाद भी मोहनलाल के नाम दर्ज है। अप्रार्थीणो को बेचान से पूर्व वर्णित आराजी शामलाती खाते मे थी। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा अपने हिस्से की आराजी का आपसी सहमति से विभाजन कर लेने के पश्चात अपने हिस्से में आई आराजी ग्राम थरोल की ख. नं. 225 की 1.01 बीघा में से 1 बिस्वा आराजी तरफ पश्चिम एनएच 52 अकलेरा जो झालावाड के लगवा स्थित है को प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी नं. 1 से दिनांक 10.03.2016 को खरीद की थी तब से उक्त आराजी पर प्राथीयां का कब्जा चला आ रहा है जिसके चारो ओर वादिनी ने पत्थर का कोंट भी करवा रखा है। यह कि अप्रार्थी नं. 1 द्वारा आपसी विभाजन के बाद अपने हिस्से में आई आराजी खं. नं. 225 की 1.01 बीघा में से 17 बिस्वा आराजी का बेचान गीताबाई पत्नी श्री छप्पनलाल जाति मीणा निवासी ब्रम्हाखेडी तह0 छीपाबडौद जिला बारां को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02. 08.2018 को कर दिया था जो नामान्तरण नं. 963 दिनांक 20.11.2019 से गीता बाई के खाते दर्ज की गई है व उक्त आराजी में से अप्रार्थी [illegible] द्वारा पुनः उक्त आराजी 1. 01 बीघा का हिस्सा 2/21 का बेचान गीता बाई पत्नी श्री छप्पनलाल [illegible] हिस्सा [illegible]/21 का बेचान रूकमणी बाई पत्नी पानाचन्द जाति मीणा [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2019 को कर दिया था [illegible] नामान्तरण नं. 977 [illegible] 05.05. 2019 से गीता बाई एवं रूकमणी बाई के खाते दर्ज कर गई थी तथा उक्त दोनों बेचान करने के बाद शेष बची 0.01 बीघा आराजी को वर्तमान राजस्व रि[illegible] में ख.सं. 956/225 से अप्रार्थी नं. 1 के खाते ही दर्ज कर रखा है जबकि उक्त आराजी का बेचान अप्रार्थी नं. 1 द्वारा उक्त दोनों बेचान करने के पूर्व से वादिनी को बेचान कर चुका है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी को प्रार्थीयां के खाते दर्ज नहीं किया गया। इस कारण उक्त खं. नं. 956/225 पर से अप्रार्थी नं. 1 का नाम काटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

जाकर प्राथीयां को उक्त ख. नं. 956/225 रकबा 0.01 बीघा का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी नं. 1 से उक्त आराजी जिसका वर्णन मद नं. 4 में है को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2016 को ही खरीद कर ली थी तथा प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थीया को बेचान के पश्चात शेष बची आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2018 एवं 10.04.2019 को गीता बाई एवं अप्रार्थीया नं. 5 रूकमणी बाई को किया गया है तथा गीता बाई के मरने पर नामान्तरण नं. 1040 दिनांक 16.07.2021 से गीता बाई के वारिसान अप्रार्थीया 2 लगातार 4 का नाम दर्ज किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ख.नं. 865/225 की 0.1619 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीया 2 लगातार 5 के शामिल खाते दर्ज है परन्तु अप्रार्थी नं. 1 मोहनलाल द्वारा गीता बाई व रूकमणी बाई को बेचान की गई आराजी के बाद विभाजन के आधार पर नामान्तरण नं. 1000 दिनांक 05.11.2019 तस्दीक कर उक्त आराजी को प्रार्थीया की शेष बची थी वह जो अभी मोहनलाल के नाम दर्ज है उसे उक्त ख. नं. 865/225 के नक्शे में पश्चिमी दक्षिणी कोने पर बता दिया जबकि उक्त 1 बिस्वा आराजी जो वादिनी द्वारा खरीद की गई थी वह आराजी पश्चिमी तरफ एनएच 52 अकलेरा झालावाड़ रोड के लगवा स्थित है जिसका उल्लेख रजिस्ट्री दिनांक 10.03.2016 मे दर्ज है इस कारण उक्त इंतकाल नम्बर 1000 दिनांक 05.11.2019 वादिनी के टिनेन्सी अधिकारों पर बेअसर होने से निरस्त होने योग्य है व प्रार्थीया रजिस्ट्री में दी गई चतुर्सीमा एवं दिशानुसार नक्शा तरमीम करवाने की अधिकारिणी है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया द्वारा खदीद की गई आराजी अभी भी अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते दर्ज चली आ रही है व राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थीयां नम्बर 2 लगायात 5 द्वारा खरीद की गई आराजी का नक्शा गलत तरमीम होने के कारण इस बात का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी नम्बर 1 उक्त आराजी का कही रहनदान बेचान आदि कर सकता है व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 वर्तमान नक्शा ट्रेस के हिसाब से आराजी को कन्वर्ट करवाकर प्लाट के रूप मे बेचान कर सकते है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्यवाही करदी तो प्रार्थीया को अपूर्णी क्षति कारित होगी। इस कारण प्रार्थीया अप्रार्थीगण 1 ता 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अपने तर्क को साबित करने के संबंध मे प्रस्तुत वैधानिक निर्देश/निर्णय डी..एन.जे 2022 पेज 1541, आर.आर.डी 2010 पेज 96, आर.आर.डी 2015 पेज 497 व आर.आर.डी 2017 पेज 640 प्रस्तुत की है। वकील प्रतिवादी मोहनलाल द्वारा व्यक्त किया कि मेरा प्रथम बेचान कंचनबाई को किया गया है तथा विभाजन मे किसी प्रकार की सहमति नही है। वकील प्रतिवादी 2 ता 5 द्वारा व्यक्त किया की प्रार्थीया वर्तमान मे आराजी की खातेदार नही है इसलिए प्रार्थीया को रिकार्डडेट खातेदार अप्रार्थीगण 2 ता 5 के विरूद्व कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थीया द्वारा कथा कथित बेनामा दिनांक 10.03.2016 मे वर्णित मुताबिक प्रार्थीया ने अप्रार्थी नम्बर 1 से खसरा नम्बर 225 की 1 बीघा 1 बिस्वा मे से तरफ पश्चिम एन.एच 52 अकलेरा से झालावाड के लगवा आराजी का खरीद करना बताया है उक्त अनुसार प्रार्थीया का खसरा नम्बर 225 की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे से 1 बिस्वा तरफ पश्चिम रोड से लगवा 5 फूट 3 इन्च चोडी पूर्व से पश्चिम तथा 165 फूट लम्बी उत्तर से दक्षिण लम्बी पट्टी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी 2 ता 5 के विरूद्व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया को केवल अप्रार्थी नम्बर 1 के विरूद्व ही वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी 2 ता 5 ने स्वेच्छा से बटवारा तस्दीक करा लिया है जिसमा नामा0 1000 दिनांक 5.11.19 को तस्दीक हो चुका है विभाजन पत्र व नामा0 मे अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी 2 ता 5 का [illegible] दर्ज है जिसकी प्रार्थीया द्वारा कोई अपील नही की गई है। अप्रार्थीया 4 [illegible] अपने [illegible] से की आराजी को रिलीज कर अपने भाई गोविन्दलाल [illegible] दर्ज करवादी गई है। इसलिए अप्रार्थी नम्बर 2,3 व 5 को अपने खाते की आराजी को तरमीम के मुताबिक रहन, बेचान अन्तरण करने का अधिकार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्राईमाफेसाई असत्य है तथा वाद का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे नही [illegible] ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की कोई सम्भावना नही है बल्कि यदि अप्रार्थी 2,3 व 5 को उनके खातेदारी की आराजी को कन्वर्ड कराने से व बेचान करने से रोका गया तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested

तर्क को साबित करने के संबंध मे प्रस्तुत वैधानिक निर्देश/निर्णय आर.आर.डी 2022 पेज 246 प्रस्तुत की है।

वकील वादनी व प्रतिवादीगण की बहस व रिकार्ड के आधार पर यह साबित है कि प्रकरण मे अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है जिसपर वकील प्रतिवादी 2 ता 5 द्वारा प्रस्तुत वैधानिक निदेश/निर्णय आर.आर.डी 2022 पेज 246 उचित प्रतीत होती है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नही है। अतः एकतरफा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.01.2022 इसी स्तर पर बन्द की जाती है। वादनी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र मूल वाद मे संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(जनक सिंह आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा
उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested